

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

संस्था एवं छात्राध्यक्ष कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाये व कि किसी अन्य कार्यालयों के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूरे में पर छात्राध्यक्ष द्वारा ही ही पर क्रमांक एवं दिनांक ज्ञापन लिखन करने विस्तार उपस्था हो।



दस्तावेज : 001/सिने
दस्तावेज : 0091-(0751) 2442402
(ग्वालियर)
2442402 (ग्वालियर)
फैक्स : (0751) 2751-2741/164
E-mail :
jwajp_gwal@rediffmail.com
Website :
http://www.jwajp.edu

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/5862

दिनांक : 26/12/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिचय की बैठक दिनांक 16 अक्टूबर, 2012 के पर क्रमांक (02) के निर्णयानुसार शा. नेहरू महाविद्यालय, अशोकनगर को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संघालित एल.एल.बी. (प्रिविडीय) पाठ्यक्रम के लिये अर्थात् सम्बद्धता विन शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तें एवं प्रतिबंध :-

1. बार कॉन्सिल के निगम अनुसार महाविद्यालय में एडवक प्रवर्तन एवं शिक्षकों को नियमित नियुक्ति शीघ्र करें, एवं नै. शैक्षणिक हॉफ को नियुक्ति भी करें।
2. महाविद्यालय में कम्प्यूटर लैब, मूट कोर्ट, वायज एवं अर्लस कोमन रूम की व्यवस्था की जाये।
3. महाविद्यालय में प्रचार ठावर रूपसे की पुस्तकें एवं जरूरत कर किये जाये।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, शा. नेहरू महाविद्यालय, अशोकनगर
2. सचिव, बार कॉन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 राज टोवेण्ड, इंडियन स्टूडेंट्स एसोसिएशन एरिया, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुत्र भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-तंजल संभाग, मोती गजल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/नोपजीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक 03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)